

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इतिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
----------------	----------------------------------	---

11/2017

पञ्जावली पेशा हुई विपक्षी सख्या 1 से 4 के आधिकारिता द्वारा दिनांक 15-9-2016 को प्रस्तुत प्राथमिक पञ्ज अन्तर्गत आदेश - 7 नियम 11 व धारा 151 अन्तर्गत पर बहस सुनी गई। वकील प्राथमिक स 1 से 9 द्वारा पञ्ज प्राथमिक पञ्ज में ग्राम मैजा पं. हल्का मैजा, तहसील मांडल में नवीन आनं 2302 रकबा 0.1 बीघा 8 बिघा 2 असे दिखित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिकारी स 1 से 4 के नाम दर्ज है। जो पञ्जावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार खालेदारी अधिकार प्राप्त गया है।

इस संबंध में प्राथमिक एष विपक्षीगण की बहस सुनी गयी। प्राथमिक आधिकारिता द्वारा बहस दौरान बताया गया कि प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार खालेदारी अधिकार माननीय न्यायालय को है। तथा वर्तमान असे पर कब्जा अनुसार विपक्षीगण वर्ष 1973 के एग्रीमेंट अनुसार कालीगण का कब्जा लगातार चला आ रहा है। अतः खालेदारी अधिकार दिलाया जावे।

बहस दौरान प्रतिकारी आधिकारिता द्वारा बताया गया कि प्राथमिक द्वारा प्रस्तुत अनुबंध पञ्ज अन्तर्गत राजिस्टर्ड होकर, विक्रय पञ्ज अमुदित स्टाम्प पर होकर खालेदारी अधिकार के योग्य नहीं है। प्रकार न्यायालय श्रेष्ठ का न होकर, सिविल कोर्ट का है। इस प्रकार राजिस्टर्ड दस्तावेज न होने से प्राथमिक खालेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं।


उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

होकर रवालेदार कारखाने को धोखिल मही  
किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना  
पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA के अन्तर्गत  
प्रस्तुत प्रार्थना - पत्र आदेश-7, नियम-11  
के धारा 151 आठवीं का स्वीकार किया  
जाने से अन्तर्गत धारा 212 RTA  
का रवालीज की जाती है। प्रार्थना - पत्र  
मूल वाद के साथ संलग्न है।  
निर्णय से इजलास सुनाया  
गया। पञ्जावली फैसला शुमार होकर  
मज्बूत से कम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला मीलवाड़ा

श्री देविका  
का प्रेम

सेवामे,  
श्रीमान सहाय  
न्या

श्रीमति ली  
निवासी न

श्री श्याम  
निवासी न

श्री विनो  
निवासी

श्री शि  
निवासी

श्री मन  
नई न

श्रीम  
निवा

श्री  
नई  
श्री  
नई